529

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R 1557-III/14

देवीदीन पुत्र श्री स्वामीदीन कुर्मी निवासी – ग्राम सडवाकोल तहसील गोरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)
..... आवेदक

विरूद्ध

कमला कान्त पुत्र श्री दादुराम यादव निवासी नांद तहसील गोरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)
..... अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 651/निग./अ–19(4)/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर का आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 1 आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 जां.दी. का इस आशय से प्रस्तुत किया था। कि उसके द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गयी है उसमें तकनीकी त्रुटि रह गयी है इसलिये सुधार किये जाने की अनुमति दी जायें। उक्त आवेदन पत्र का जबाव आवेदक की ओर से प्रस्तुत कर बताया कि वर्तमान प्रकरण विगत 7 वर्षो से विचाराधीन है जो गलत प्रकरण लिखकर निगरानी प्रस्तुत की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं हो रहा है एवं प्रकरण काफी समय से विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अनावेदक का उपरोक्त आवेदन पत्र सदभावना पर आधारित नहीं होने से प्रकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के उक्त जबाव पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अनावेदक द्वारा जो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत प्रकरण लिखकर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें जानबूझकर त्रुटि की गयी है क्योंकि वह प्रकरण को लमबित रखना चाहते है ऐसी स्थिति में अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के जबाव पर विधिवत् विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस प्रावधान के अन्तर्गत कोई भी ऐसा आवेदन पत्र मजूंर नहीं किया जा सकता है जिससे वर्तमान प्रकरण की प्रवृति में परिवर्तन हो जायें इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा जानबूझकर निगरानी आवेदन पत्र में प्रकरण क्रमांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-1557-तीन/2014 जिला-छतरपुर

देवीदीन विरूद्ध कमला कान्त

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~11.01.2019~~ 28.01.2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 651/निग./अ-19(4)/2007-08 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 25-04-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-05-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

28/01/19

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य